Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU
BA - 2, Paper - 3. IGIP
Date - 04.02.2022

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां

- राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय (SC) के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति SC से विधिक सलाह भी ले सकता है परंतु यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध की दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।

सैन्य शक्तियां – राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है।

- **आपातकालीन शक्तियां** :-
  - अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में
  - Art 356, 365 राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में
  - अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात के संदर्भ में,

- **राष्ट्रपति की वीटो शक्ति** :-

सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है –

Scanned with CamScanner

- यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है तो उसे रोका जा सके।
- यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधारा जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:-

1. अपनी सहमति दे दे
2. अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले
3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे।

→ 4 प्रकार के वीटो होते हैं:-

1. आत्यंतिक वीटो - विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार
2. विशेषित वीटो - जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है।
3. निलम्बनकारी वीटो - राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है।
4. पॉकेट वीटो - जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहे अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्ति शाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिनों के लिए रोक सकता परंतु भारतीय के पास कोई समय सीमा नहीं है (अनुच्छेद 200 एवं 201 राज्य द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में है)।

→ अनु॰ 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति - विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता पड़ने पर, अल्पकालीन अवधि के लिए होता है।

→

Scanned with CamScanner